न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
30/2020	दावा 88 RTA & धारा 136 LR Act	06.03.2020	11.03.2020

ताराचन्द पुत्र स्व. दूलाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित – 1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया कि वादी ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू का रहने वाला है। मुझे घर पर प्यार से तारूराम के नाम से भी सम्बोधित करते हैं इस कारण हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 674/356 कुल तादादी 1.7705 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तह0 चूरू के राजस्व रिकार्ड में मेरा प्यार का नाम तारूराम दर्ज करवा दिया गया था लेकिन मेरा सही नाम ताराचन्द है जो मेरे आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज है। तारूराम व ताराचन्द एक ही व्यक्ति का नाम है, जो मेरा ही नाम है। मुझे उक्त दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाता था। इस नाम परिवर्तन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में इस नाम बाबत कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की ही होगी। अब मैं मेरी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज करवाना चाहता हूं। अतः दावा/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज करने की कृपा करें।

वादी/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज को जवाब हेतु तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी पैरोकार राज ने पटवारी हल्का खासौली से रिपोर्ट लेकर पेश की जिसमें अंकित आया कि वादी/प्रार्थी ताराचन्द उर्फ तारूराम पुत्र स्व. दूलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रामसरा तहसील व जिला चूरू (राज.) द्वारा ग्राम रामसरा के खसरा नम्बर 674/356 कुल रकबा 1.7705 में खातेदार का नाम तारूराम पुत्र दूलाराम के स्थान पर ताराचन्द करवाने हेतु आवेदन किया है। उक्त प्रार्थी के बारे में ग्राम में पूछताछ की गई, जांच में पाया गया कि ग्राम रामसरा के खसरा नम्बर 674/356 पर अंकित खातेदार तारूराम पुत्र दूलाराम का वास्तविक नाम ताराचन्द पुत्र दूलाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा है जो प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, आधार कार्ड व चुनाव पहचान पत्र से भी प्रतीत हो रहा है। अतः नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है। पैरोकार राज की ओर से इकबाल जवाब पेश होने पर उभय पक्षकारों को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादी ने निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी की है जो वादी को विरासतन प्राप्त हुई है। उक्त विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का परिवार में लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम तारूराम दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम ताराचन्द है। राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत दर्ज नाम के कारण वादी को काफी कठिनाई व असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उक्त नाम संशोधन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में उक्त नाम बाबत किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की होगी। अतः दावा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तारूराम पुत्र दूलाराम के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम ताराचन्द पुत्र दूलाराम दर्ज करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुए जाहिर किया कि वादी का नाम शुद्ध किये जाने से राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2071 खसरा नं. 674/356 तादादी 1.7705 हैक्टेयर रोही ग्राम रामसरा में वादी का नाम तारूराम पुत्र दूलाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा खातेदार दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। वादी के आधार कार्ड सं. 390497509269 व मतदाता पहचान पत्र सं. RJ/03/020/570332 में वादी का सही नाम ताराचन्द पुत्र दूलाराम अंकित है। वादी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है जिसमें सशपथ अंकित किया है कि मुझे घर पर प्यार से तारूराम के नाम से भी सम्बोधित करते हैं इस कारण हमारी पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नं. 674/356 कुल तादादी 1.7705 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तह0 चूरू के राजस्व रिकार्ड में मेरा प्यार का नाम तारूराम दर्ज करवा दिया गया था लेकिन मेरा सही नाम ताराचन्द है जो मेरे आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज है। जो कि तारूराम व ताराचन्द एक ही व्यक्ति का नाम है, जो मेरा ही नाम है। मुझे उक्त दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाता था। अब मैं मेरी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज करवाना चाहता हूं। इस नाम परिवर्तन के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। भविष्य में इस नाम बाबत कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी मेरी स्वयं की ही होगी। अतः उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा सही नाम ताराचन्द दर्ज करने का कष्ट करें। राजस्थान सरकार की ओर से पटवारी हल्का खासोली व पैरोकार राज ने भी बाद जांच वादी/प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ताराचन्द होना अंकित किया है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि नं. 674/356 कुल तादादी 1.7705 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तह0 चूरू में वादी का नाम तारूराम पुत्र दूलाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा खातेदार दर्ज है जिसको वादी शुद्ध करवाना चाहता है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में आधार कार्ड सं. 390497509269 व मतदाता पहचान पत्र सं. RJ/03/020/570332 पेश किये हैं जिनमें वादी का सही नाम ताराचन्द पुत्र दूलाराम अंकित है। वादी ने अपने शपथ पत्र में उक्त संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेवारी स्वयं की होना सशपथ बयान किया है। दावा में प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से बाद जांच पाया है कि वादी/प्रार्थी का वास्तविक नाम ताराचन्द है। पेश दावा व दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी वादगत कृषि भूमि का एकल खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तारूराम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

के समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम ताराचन्द दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का खासौली एवं अनुशंषा तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 674/356 कुल तादादी 1.7705 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील चूरू में वादी का नाम तारूराम के स्थान पर ताराचन्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

ताराचन्द पुत्र स्व. दूलाराम जाति मेघवाल निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू
–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. व धारा 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नं. 30 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ताराचन्द वादी स्वयं, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का खासौली एवं अनुशंषा तहसीलदार, चूरू के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 674/356 कुल तादादी 1.7705 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम रामसरा तहसील चूरू में वादी का नाम तारूराम के स्थान पर ताराचन्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में उक्त नाम संशोधन बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी वादी की रहेगी। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 11 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू